Phone & Fax no. 01360275052
e-mail : dfo_kalsi@rediffmail.com

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1516 / 3-3 , दिनांक, कालसी, 7-12- 2023

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **"लेखाशीर्षक 4406–01–101–09–00–बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण** के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य की निविदा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से दिनांक 25.12.2023 **के सांय 4 बजे** तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/जिला पंचायत के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में सिविल कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.12.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/ प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 26.12.2023 **को सांय 4.30** बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की **वेबसाईट www.forest.uk.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	बयाना की धनराशि
1.	चौहड़पुर रेंज के डोबरी कक्ष संख्या–2ए में बरसाती नदी से कृषि भूमि के भारी कटाव को रोकने हेतु जी0आई0वायरक्रेट प्रोटेक्शन वाल निर्माण कार्य।	50 दिन	2450600.00	₹ 2000 + 18% जी0एस0टी0	₹ 73,500.00

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0स0 वन प्रभाग
कालसी

-: निविदा की शर्तें :-

निविदा भेजने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों को ध्यान से रखकर निविदा दें। किसी भी एक शर्त का पालन ना होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1. निविदायें पंजीकृत ड़ाक/स्पीड़ पोस्ट से दिनांक 25.12.2023 के सायं 04.00 बजे तक आमत्रिंत की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.12.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी से प्राप्त किये जा सकते है। कार्य का विवरण/प्राक्कलन व निविदा की शर्तें उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को आकर देखी जा सकती है।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा दी जा रही है, का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
4. निविदा में स्पष्ट लिखा होना चाहिये कि निविदादाता प्राक्कलन लागत से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक पर कार्य करने को तैयार है। एक मुश्त दरें मान्य नहीं होगीं। ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी।
5. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा के साथ निविदा में दर्शायी गयी धनराशि ₹ 73,500/- नेक जमानत/बयान धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पदनाम पर निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदा के साथ ₹ 100/- नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹ 1/- का रसीदी टिकट हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य होगा, जिसके पीछे निविदा की शर्तें लगी हों।
8. निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण, आयकर पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
9. ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी न्यूनतम दरें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि मे ठेकेदार को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय बुला लें।
10. निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्यस्थल एवं प्राक्कलन का निरीक्षण भली-भॉति कर लें बाद में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यदेश प्राप्त होने के बाद एक हफ्ते के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी वन क्षेत्राधिकारी चौहड़पुर रेंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
12. टेण्डर स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 7 दिन के अन्दर निविदादाता को कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि या इससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझें अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होगें।
13. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।
14. विभाग कोई भी सामग्री ठेकेदार को देनें के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री दी जायेगी तो इसका मूल्य प्राक्कलन में दी गयी दर के अनुसार बिल से काट लिया जायेगा।
15. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
16. यदि उच्चधिकारियों द्वारा प्राक्कलन में किसी प्रकार से संशोधन किया जाता है तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा अन्तिम भुगतान तदनुसार ही तुलनात्मक रूप से किया जायेगा।
17. कार्यदेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा जो निविदा खोले जाने की तिथि से छः माह पहले का ना हो।
19. निविदादाता को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/जिला पंचायत के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में सिविल कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदार व्यवसाय हेतु पंजीकृत होने चाहिए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए।
20. कार्यो का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात सन्तोषजनक होने पर किया जायेगा।

21. आरक्षित वनों से किसी भी प्रकार से खनिज एव वन उपज का विदोहन मान्य नहीं है।
22. निर्माण मे जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं हटाना होगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
23. शासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर व स्टाम्प शुल्क, लेवर सेस देना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जायेगी।
24. निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तदायी नहीं होगा।
25. ठेकेदार को निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी/चूंगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने पर पूर्ण अधिकर अधोहस्ताक्षरी को होगा।
26. यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
27. यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य असन्तोषजनक किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जफ्त/अपहरित कर ली जायेगी साथ ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
28. अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाय वसूंली अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
29. कार्य का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन आरक्षी/वन दरोगा से लेकर उच्चाधिकारी कर सकते है। कार्य सन्तोषजनक न होने पर टेकेदार को स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य ठीक करना होगा, अथवा भुगतान काट दिया जायेगा।

(नीरज शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक-1516 /3-3 कालसी, दिनांक 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य वन संरक्षक,(गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सैल, देहरादून को उक्त निविदा सूचना विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
5. खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर एवं सहसपुर।
6. अधिशांसी अभियन्ता, लो0नि0वि0, सहिया (कालसी)।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी एवं सहसपुर।
9. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।
10. कार्यालय सूचना पट्ट, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

(नीरज शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।